।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

E-Mail:- dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांकः 214 / 12-1 दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई 12 /2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली।

विषयः— **सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.310 है0 सिविल, 1.322 है0 वन पंचायत कुल 1.623 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

संदर्भः— **आपकी पत्र सं0 1019/36सी0 दिनांक 24.06.2022.**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय को प्रेषित है, प्रस्ताव का अवलोकन करने पर प्रस्ताव में निम्न कमियां पायी गईः—

1— विषय सूची में अंकित पेज नं0 सही क्रमांक में नही लगाये गये है, वन भूमि हस्तान्तरण मार्ग दर्शिका 2014 में दिये गये विषय सूची के अनुसार प्रस्ताव में प्रपत्र संलग्न किया जाय।

2— प्रस्ताव में संलग्न मक डिस्पोजल योजना में Sewling factor 40 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत लिया गया है। जिसे मक डिस्पोजल योजना में Sewling Fcator 40 प्रतिशत के अनुसार आंगणित करते हुए संशोधित मक डिस्पोजल योजना प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाईन भी अपलोड करे।

3— मक डिस्पोजल योजना में वन पंचायत में लिये गये मक डम्पिंग स्थलो की लम्बाई एवं चौड़ाई के अनुसार 0.180 है0 है तथा प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैण्डयूल में 0.174 है0 अंकित है, तथा सिविल भूमि में लिये गये मक डम्पिंग स्थलो की लम्बाई व चौड़ाई के अनुसार 0.09 है0 है तथा प्रस्ताव में संलग्न लैण्ड शैण्ड्यूल में 0.100 है0 अंकित है। जिसमें विरोधाभास हो रहा है।

4— क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम कुलिंग खसरा सं0 339 में 3.264 है0 भूमि का वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज, देवाल से स्थलीय निरीक्षण करते हुए भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डिजिटल मैप में वन क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर कर प्रस्ताव में संलग्न करे।

5—प्रस्ताव में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में वैकल्पिक संरेखण में कुल 89 वृक्ष अंकित है जबकि प्रस्ताव में संलग्न वैकल्पिक समरेखण में आ रहे वृक्षो की सूची में कुल 197 वृक्ष दर्शाये गये है।

6—प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन एवं मक डिस्पोजल योजना में मक डम्पिंग स्थलो के पुर्नस्थापना हेतु वृक्षारोपण प्राक्कलन पुराने दरो के अनुसार है, वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल से क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राक्कलन नये दरो के अनुसार प्राप्त करते हुए प्रस्ताव में संलग्न करे।

7—प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र में चयनित स्थल के खसरा सं0 का भी उल्लेख करे।

8— क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का निरीक्षण आख्या में दिनांक अंकित नही है।

9—मक डिस्पोजल योजना में मक डम्पिंग स्थलो में आ रहे वृक्षो का उल्लेख नहीं किया गया है।

10—प्रस्ताव में एन0पी0वी0 प्रपत्र में पुरानी दरो के अनुसार धनराशि अंकित है। वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी पिण्डर रेंज, नारायणबगड़ से एन0पी0वी0 प्रपत्र में एन0पी0वी0 की नई दरो के अनुसार धनराशि अंकित करे।

11— प्रस्ताव में संलग्न भाग—1 में दिनांक अंकित नही है।

12— प्रस्तावित मोटर मार्ग 210 मी0 नाप भूमि से होकर जा रही है परन्तु आप द्वारा प्रस्ताव में नाप भूमि धरो के एन0ओ0सी0 संलग्न नही है।

13— प्रस्तावित मोटर मार्ग का संरेखण जी0पी0एस0 कोडिनेट के अनुसार मार्ग का सीमांकन पिल्लरो से करे।

अतः उपरोक्त विषयांकित मोटर मार्ग के 03 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव इस आशय से वापस किये जा रहे है कि उपरोक्त बिन्दुओ का निराकरण करते हुए प्रस्ताव का वन भूमि हस्तान्तरण मार्ग दर्शिका 2014 के अनुसार तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः— 03 प्रस्ताव की हार्ड प्रति।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांकः—214 /12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, पूर्वी पिण्डर रेंज देवाल एवं पश्चिमी पिण्डर नारायणबगड़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त बिन्दुओ में अपने स्तर से बनाये जाने वाले प्रपत्र को तैयार कर पांच प्रतियों में लोक निर्माण विभाग थराली को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner